

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू०पी० (सी०) संख्या 1972 वर्ष 2020

वी०ई० वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड, द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह रघुवंशी

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, हजारीबाग
3. वन प्रमण्डल अधिकारी (पश्चिम), हजारीबाग उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सुनील सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अशोक कुमार यादव, जी०ए०—I

आदेश संख्या 03

दिनांक :05.01.2021

वर्तमान मामले को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुना गया है।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी सं० 2 पर जब्ती अपील संख्या 11 वर्ष 2018 को निष्पादित करने हेतु निर्देश देने के लिए दायर किया गया है।
3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह प्राधिकृत अधिकारी—सह—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रभाग (पश्चिम), हजारीबाग (उत्तरदाता संख्या 3) के द्वारा जब्ती वाद संख्या 79 वर्ष 2012 में दिनांक 24.09.2018 को पारित आदेश से दुखी होकर, जब्ती अपील

संख्या 11 वर्ष 2018 उपायुक्त हजारीबाग के समक्ष (उत्तरदाता संख्या 2) दायर किया जिसे अभी भी लंबित कहा जा रहा है।

4. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए उपरोक्त सीमित प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी सं 2 को जब्ती अपील संख्या 11 वर्ष 2018 की सुनवाई में तेजी लाने और वर्तमान आदेश की एक प्रति प्राप्ति/उत्पादन की तारीख से तीन महीने के भीतर उसे निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। पक्षों को उक्त अपील को समय सीमा के अन्दर निपटान में प्रतिवादी सं 2 के साथ सहयोग करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है।
5. तदनुसार, रिट याचिका को पूर्वोक्त निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया०)